correcting them. Let us not merely say that everything is wrong and nothing is right. When everything is wrong, nothing can be set right. Who will set it right? Therefore, there are many things which are good. There are many things which may be also wrong. I am not prepared to say that nothing is going wrong. I cannot say there is no abject poverty in this country. There is poverty in this country and we must remove it. Can we remove it in two or five years? We would need 20 or 30 years to do so; that also we can do provided we go about it industriously and together in a co-operative manner. You cannot remove this kind of poverty by a magical wand anywhere. No country has done it. Other countries have taken 100 or 200 years to do this kind of thing in olden days, when they had leisure. We do not have that leisure. We do not want to have that and we cannot afford to have it But we must also have a sense of proportion. We cannot go on expecting things which cannot be done.

Therefore, as long as these kinds of things remain, there are bound to be some disparities here and there. There are bound to be some wrong sections, which are a **reminder to us all** the while that we must not be complacent. As long as one man remains poor or unhappy, we cannot consider ourselves satisfied, but because there are some men like that should we not acknowledge that many people also have profited and gone ahead? That is what we should do and see that those who go ahead help those who do not go ahead and make them go ahead and help them in going ahead. That is what we are seeking to do in this country. That is the attempt that we are making through the budgets, legislations and through the Government that we are privileged to carry on because the people have reposed that confidence in the party to which I have the honour and privilege to belong.

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1962-63, be taken into consideration."

The motion was adopted.

16.08 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SECOND REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): I beg to move:

"That this House agrees with the Second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 13th June, 1962."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 13th June, 1962."

The motion was adopted.

16.09 hrs.

RESOLUTION RE. REMOVAL OF UNTOUCHABILITY—contd.

Mr. Speaker: The House will now resume further discussion of the resolution moved by Shri Balmiki on 1st June, 1962 regarding removal of untouchability. Out of 2½ hours allotted for the discussion on the resolution, 48 minutes have already been taken up.

Shri Umanath (Pudukkottai): I rise to support this resolution. Elimination of untouchability is an urgent need for the hour. When I say that, I do not raise it merely from the humanitarian angle. Its existence is an obstacle to progress and democracy.

[Shri Umanath]

Apart from that, in the international field, we have been opposing South African *apartheid* as well as Negro-baiting in America. The existence of untouchability in our country is giving food for slanders for the racists in South Africa and the Negro-baiters in America. Therefore, our struggle again t *apartheid* and against Negro-baiting gets weakened.

Why does it continue after 14 years of independence? We have passed an Act aboli hing untouchability. We have an enforcement machinery. We have spent crores and crores of rupees on welfare measures. Still, barring the crudest form of untouchability of not allowing people to go by common roads, most other forms of untouchability still continue, like barring temply entry, barring usage of common wells, outcasting people who resort to inter-caste marriages, barring hotels etc. In fact in many rural parts in my own con tituency, if Scheduled Caste people enter a hotel they are not allowed to sit on the benches or chairs inside the hotel; they will have to sit on the ground and take their food. t is happening in the presence of police official and others. It is a recognised fact.

In Kerala, for example, there is an entire community called Nayadis. Begging is their profession, not because they like begging but because they were unseeables. We have heard about untouchability but some of us have not heard about unseeability. These Nayadis have been till recently unseeable. They should not be seen by other caste people, so much so circumstances compelled them to live in forests. For making a living they used to place their bowls on the common road and stand behind a tree at a fair distant place and shout begging. Those were the circumstances. Because they were unseeables they were compelled to resort to begging as a community. What has happened now? The unseeability has gone but the unapproachability and begging remain.

Now, why should it be continuing like this even after 14 years of independence? In their 48th Report the Estimates Committee, on page 20, has said:

> "Regarding the implementation and effectiveness of the Act, the Committee understand that the Act has not been very effective and the general experience has been that a large number of offence relating to the practice of untouchability go unnoticed partly due to the lack of interest on the part of the police officials and partly because the Scheduled Caste people in rural areas being economically dependent on the Caste Hindus are afraid of lodging complaints against the offenders."

It ha sharply put the two aspects of the entire question.

Now, as far as the enforcement of the Act is concerned, the Commissioner's Report of 1959-60 clearly gives us certain figures—we have al o received the latest report today. It ays that in 1956 the number of cases registered was only 496 in the entire country, and in 1959 that number al o went down to 389. If we take the number of convictions out of these cases we find that in 1956 the convictions were 149 and in 1950 the convictions got reduced to 81. Even these convictions were very weak in so far as fines ranging from Rs. 2 to Rs. 3 were imposed.

The major responsibility for this state of affairs—it is happening in almost all the rural areas—i the collusion between corrupt official and village oppresors.

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member may resume his seat. There is a large number of hon. Members who wish to speak.

Therefore, I would request hon. Members to condense their remarks within ten minutes.

Shri Umanath: This collusion is a pattern in most of the rural areas. To give one in tance, in Rohtak District of Punjab, two police inspectors went to a village, and stayed in the house of one Dogra Kamoo. This Dogra Kamoo called a Harijan and asked him to bring a cock and a hen for them. He refused. When he refused, the inspectors caught hold of him, put a garland of shoes round his neck and he was taken round the entire village and adjacent villages. This sort of oppres ion is being committed by the officials. And these are the very persons who are to enforce this Act. This is just like the fence itself eating the crop.

An argument is raised that the Scheduled Caste people do not assert themselves. I do not understand this argument. What have we done to make them assert their rights? We have got to see that. The Estimates Committee clearly says that they are economically dependent on the Caste Hindus because during the agricultural operations these people will be agricultural labour and the Caste Hindus will be landlords. So, they are economically dependent Whether it is a question of employment, house sites, credit or land, they are dependent on caste Hindus. Therefore, when we review the situation, we have got to see whether this dependence has been attacked properly. If this dependence which is the source of non-assertion has not been attacked by Government, even if we spend crores and crores of rupees on their welfare, it is not going to remove untouchability from our country. That is certain. When we examined whether the source of non-assertion has been tackled or attacked by Government we find that the result is not encouraging or satisfatcory.

Most of these people are agricultural labourers. The latest Agricultural Labour Enquiry Committee report reveals certain truths in this respect. If in 1951 they were unemployed for 82 days, in the year 1956-57 they were unemployed for 110 days, in the year. Is this the way of removing their dependence? So also the question of debts. The ame enquiry committee report says that if in 1951 on an average the total debt was Rs. 105 per head; in 1956-57 it is increased to Rs. 138. So, the present policy of the Government has resulted, so far as this section is concerned, has led to further increasing their dependence on the Caste Hindus, thereby perpetuating untouchability.

Take the question of land holdings. What about the implementation of the Act on land ceilings? There also their hopes have been belied. The Third Plan Report says that our original estimate of getting surplus land will not be realised. Even in the case of fallow land in the possession of the Government, million of acres of land remain undistributed. Why not Government distribute at least the land in their possession? Probably, because our Ministers all over the country are friendly with the propertied class and landed interests, they have acquired the thinking or habit of the landed interests, of resistance to distribution of land

My submission is that though crores and crores of rupees have been spend on welfare schemes, most of it is on propaganda than on actual schemes. Do we hope to do more propaganda than Mahatma Gandhi himself? He toured throughout the country propagating against untouchability. He started the paper *Harijan* to popularise the cause of the untouchables. Could your propaganda be much more than that? And still untouchability remains today. So, as I said earlier, unless we attack this economic dependence, this source of

[Shri Umanath]

non-assertiveness, we cannot solve the problem.

It is true that crores of rupees have been spent for their welfare. It is stated that in the Third Plan Rs. 91 crores are allotted for the first year for this purpose—I speak subject to correction. Even then, it hardly touches a fringe of the problem. Even so, the report anticipates that only about Rs. 79 crores will be spent. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes says that even Rs. 79 crores will not be spent but only Rs. 65 crores would be spent and Rs. 26 crores would remain unspent. He also says that not all the amounts shown to be spent are really spent. What really happens is this. A District Magistrate might have got Rs. 1 lakh for building a school or some colony. By the end of the year, if the work had not been taken up, he transfers the amount to his personal account and it is shown as spent. He takes up the work next year. So, as far as the figures are concerned, though the amount is shown as spent in full, it becomes trickle while it reaches the masses. That is why I submit that this question of untouchability has not been tackled by the Government in the way it should have been. So, I support the Resolution to have a Committee to go into this question and make recommendations for its enforcement so that this country may progress.

16.20 hrs.

Shri Balkrishna Wasnik (Gondia): Mr. Speaker, Sir, the other day when this Resolution was moved the hon. Mover of the Resolution, Shri Balmiki, pleaded his case very ably. I was also very glad to note that hon. Member, Prof. Mukerjee, also spoke very well on this Resolution. The points which he has covered, I think, touch every aspect of the problem and I do not think there is very much for me to add to this debate. But still I would like to submit a few things.

There are a large number of schemes for the welfare of the Scheduled Castes in this country. Most of those schemes are to be implemented by the State Governments. The Central Government, I think, is not directly responsible for implementing those schemes and the amount that is being spent is spent through the State Governments. We find that the implementation of these schemes is very poor. The schemes are not implemented properly and funds are not utilised. A large amount of funds lapse every year. Five years ago I had asked a question of the hon. Home Minister and at that time I was given the answer that some funds were not being utilised and the reason for this was that the State Governments were not taking keen interest in implementing the schemes. The same is the case today even after five years. We find that large amounts are not being spent and the funds are not being utilised. If this kind of a thing continues, I do not know how far we can achieve the progress of the Scheduled Castes in the ten years to come because this reservation will go after ten years.

I would like to remind the House that by bringing this Resolution in this House, I do not think Shri Balmiki wants any kind of a further reservation beyond 1971. I am also not here to plead for any kind of extension of the reservation. But the thing is that before this reservation period is over we must see that proper progress is made by the Scheduled Castes.

Why do we want this kind of a commission? We have seen that Shri Dhebar headed one commission for the Scheduled Tribes. In the same way we want a commission for the Scheduled Castes also. We want to see what progress has been achieved by the Scheduled Castes in these 14 or 16 years after independence, what the Central Government has done, what the State Governments have done and also what we are doing in this House.

Every time we discuss the Report of the Commssioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also every year we have the annual report of the Home Ministry discussed here, a large number of hon. Members of the Scheduled Castes and even hon. Members belonging to the non-Scheduled Castes speak on these problems and bring forward so many difficulties, grievances and lapses in the implementation of schemes for the Scheduled Castes, but the one answer given by the Government is, "we are doing something. Some progress is being achieved. We have done this thing or that thing." Today I would like to ask the Government one thing. They have done so many things. That is all right. But what are their lapses and inabilities that have come in the way of making progress by the Scheduled Castes? They should today speak of their lapses. We want this commission to know what the lapses are and the reasons for those lapses. To know these things such kind of a commission is very necessary. For this reason only I support the resolution of my hon. friend, Shri Balmiki.

We find that in the services also so man difficulties come That day while Prof. Mukerjee was speaking about the reservation in the services he said that even though a member of the Scheduled Castes headed a Ministry, in his Ministry too the reservation quota was not complete. What is the reason for that? Even when a particular hon. Ministry is very energetic and strong and determined to implement the percentage of reservation for the Scheduled Castes in the services, we find that the quota is not filled up. What is the reason? The only reason is that those persons in whose hands the implementation lies, do not work it properly; at least in their minds today the do not feel that they should work this properly in order to increase in intake of the Scheduled Castes in the government services.

We find that even the reserved posts for the Scheduled Castes are not filled, and they are treated as unreserved. I know that there are a number of Scheduled Caste candidates who apply for those posts. They possess the required qualifications, they possess sometimes the requisite experience also. Still those candidates are not selected. I have with me a large number of such instances. But today I would not like to burden the hon. Minister by placing all this information before the House. I do not want to plead individual cases in the House. But I want to say that though there are capable Scheduled Caste candidates they are not taken in government service. What is the reason for this? The Home Ministr should come forward and say boldly, with their hand on the heart, "No, Government are not doing like that; ever Scheduled Caste candidate who is capable, who has the experience, who has the requisite qualification is taken into the government service".

I am talking of the reserved posts. I do not know how many Scheduled Caste candidates are recruited on the unreserved posts. When the reserved posts themselves go unreserved what about the unreserved posts? Hardly any Scheduled Caste candidate is recruited on the unreserved posts.

This is the state of affairs even after sixteen years of Independence in this country, and even after we have removed untouchability for ever in our Constitution.

And what are we going to do about 1917? I am not pleading for any kind of political reservation. I am only interested in the general welfare of the Scheduled Castes, in the matter of education, in the matter of services, in

[Shri Balakrishna Wasnik]

all other social matters. My friend opposite spoke about unseeables. We have to consider that also. Untouchables and unseeables are one class. In the welfare State of India the day should come, and that day should not be very far off, when we see that all communities are equal, that there are no barriers due to unseeability, that their exist no barriers due to untouchability.

Therefore, I would like to plead today only one thing, and that is that for seeing the lapses and the reasons for them on the part of those who have been dealing with this welfare matter, this kind of move made by Shri Balmiki is very welcome. With these words I support the resolution.

Mr. Speaker: Shri Basumatari.

If all hon. Members take only as much time as Shri Balkrishna Wasnik has taken, more Members can have an opportunity to speak. I think seven minutes would be enough.

Shri Basumatari (Goalpara): Mr. Speaker, I quite welcome the spirit behind the resolution and the sentiments expressed by my hon. friend Shri Balmiki. But the question is whether a Committee of this kind will be effective in serving the purpose.

We all know the object for which he has brought forward the resolution. Everbody knows about the reservation of ten years that has been granted, and the subsequent provision. Naturally, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are very very anxious that there should be proper implementation of what the Government want to do. And for what purpose has this period of ten years been extended?

The other day our Minister of State, Shri Datar, was very vehement in pointing out how much money has been allotted, how much had been done and so on. But when the money is allotted, the question comes as to how it is utilised. Because, we have seen in the Tribal areas and we have found how the money has been misspent and has not been properly utilised. Therefore, the question is, how this money is to be utilised properly. The other, day, in reply to the debate, our Home Minister was saing that they are also anxious to develop these people. There is no doubt about that. We have not the shadow of a doubt about that—not the slightest doubt about the sincerity of our Home Minister Shri Lal Bahadur Shastri. We are fortunate enough to have him in the place of the great leader Pantji. But, the question is, how this money that is sanctioned from the Centre is being utilised. That is the question.

In the course of the reply, it was said that it rests with the State Governments that the State Governments have to implement the schemes and utilise the money. When the parent body is here, when Parliament is here, I do not think the State Governments will disobey what the Government of India, which is more responsible for the development of the country, directs. When we are in the same family, I do not understand why the State Governments should not carry out what the Government of India directs. I do not want to say further.

I do not know whether it will be feasible to set up a committee like this. If it is a committee, I do not think the purpose will be served. Unless and until it is a statutory committee like the Public Accounts Committee or the Estimates Committee or a corporaion under an Act of Parliament, I do not think it will be so effective. If it will be effective. I welcome that. The other day, the Home Mnister said that the Government will have a cell in the Ministry and wanted to appoint liaison officers. We do not know how far this cell and the liaison officers will be effective. If they will be effective and serve the purpose, we have no objection. But, one thing, I must say. By creating

officers only, I do not think that the purpose will be served. Unless the heart is changed, I do not think anything can remove the disparity between the communities. The hon. Deputy Minister who is a kind-hearted lady and herself comes from the Scheduled Castes, must understand what is the problem about the Scheduled Castes. Onl a few years ago, a Scavenger Committee had been appointed. That report may also be before the House. The report of the Committee is there. If that is not effective, I do not think a committee of this kind will be more effective.

I would go further and say, if the committee is to find out ways and means and to find out the lacuna of the Government, it should be a statutory committee like the Estimates Committee or the Public Accounts Committee. Otherwise, I do not think only by constituting a committee,, the purpose will be served. I want to put one question to the hon. Member who was saying that a Commission should be appointed. Will that be feasible? A Commission is a constitutional matter. We have a Commission under article 339 of the Constitution. Whether it can be amended or not, it is up to the Government. Therefore, I am not in a position to wholeheartedly support the Resolution if it is only a committee to find out ways and means.

With these words, I welcome the spirit and the sentiments expressed in the House.

Shri Dasaratha Deb (Tripura East): Mr. Speaker, I shall be very brief.

Mr. Speaker: I will be very much thinkful to him if he is very brief.

Shri Dasaratha Deb: I support this Resolution that a Committee should be set up to go into the question. Ultimately, this committee will come out with certaon concrete proposals as to how the present handicapped position of the Scheduled Castes and the untouchable people could be improved. Some attempts are being made by the Government itself and in some States, some legislations are there. I do not think that very much lies only in enactment of legislation or its enforcement. Unless we raise their standard of living, unless we remedy their present handicapped condition so far as their economy is concerned, if we do not improve their existing cultural standard, we cannot have any kind of uniformity in the country. From my own experience, I can say that in your parts, there are certain tribal people who at one time were considered to be untouchables by the non-tribal people there. When we were school-boys, we were not allowed to enter into some Hindu temples by the cast-Hindu people there. But, ultimately, when the tribal people came forward and got education and they were educated to some extent, there was no bar. Even among the tribal people, those who have graduated and are earning a lot are now marrying Bengali girls, and the *vice versa* is also taking place.

So, it is not a thing which can be enforced by means of some Act that a caste-Hindu should give his daughter in marriage to a boy belonging to the Scheduled Castes or to a Harijan. It cannot be brought about in that way. If you improve the economic condition of these people and if you give them sufficient education, then, automatically, these things will take place. What is required is a change of heart; it does not happen automatically by mere legislation or by mere speaking. My hon. friend Shri Umanath had said that Mahatma Gandhi had devoted his life to this, and in fact, he had been trying to bring this about during his whole life, but he could not succeed much.

That is why I say that our duty should be to improve the economic condition of these people. Give more lands to the peasants, and give them scope to earn more money. The eco-

[Shri Dasaratha Deb]

nomic backwardness should be removed. They should also be given more schools and the entire amount required for their education should be borne by Government. If we can raise their standard in this way, then I think that this problem can be solved. That is why I say that Shri Balmiki's resolution should be accepted and the committee should be set up and it should come forward with its suggestions. With these words, I support the resolution.

श्री गणपति राम (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय, अस्पृश्यता देश के लिये कलंक है. इसको कोई भी जिम्मेदार आदमी मानने से इन्कार नहीं करता । लेकिन जब कभी हम सुनते हैं लोगों को यह कहते हुए कि यह हरिजनों की समस्या है तो बहुत आश्चर्य होता है । अस्पृश्यता हरिजनों की कोई समस्या नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है । जब तक हमारी सरकार और हमारे देश का पढ़ा लिखा नागरिक तथा हमारे देश के जिम्मेदार लोग इसको राष्ट्रीय समस्या समझ करके इसको सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक इस देश से अस्पृश्यता निकल नहीं सकती है । आज हमारे देश के सामाजिक संगठनों में तथा देश के समाज में रग रग में अस्पृश्यता भरी हुई है । यह केवल हरिजनों और नान-हरिजनों का सवाल नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितना नानहरिजन कम्युनिटीज़ हैं, उनके अन्दर भी आपस में अस्पृश्यता है । ब्राह्मण क्षत्रिय से क्षत्रिय वैश्य है, तथा वैश्य हरिजन से तथा हरिजनों में आपस की जातियों में छुआछूत है । यह कोई एक जाति की समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय समस्या है ।

किन्तु यह जरूर है कि इसको दूर करने के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है । हमारे देश के नेतागण, हमारे देश के त्यागी और तपस्वी इस तरफ आंख लगाये हुए हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से हिन्दुस्तान के माथे से यह कलंक मिट जाए । आज देखने में भी आ रहा है कि यह जो रूढ़ि सदियों और युगों से चली आ रही है, बहुत मानों में कम हो गई है । लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से चलते गये तो शायद इसको दूर करने के लिये पचासों वर्ष लग जायें ।

सरकार ने वायदा किया था कि दस वर्ष के अन्दर हम हरिजनों की अस्पृश्यता को निकाल कर के उसको समाज के दूसरे लोगों के बराबर ला खड़ा कर देंगे । संविधान के लागू होने के दस वर्ष के बाद भी सरकार ने यही महसूस किया है कि अभी तक हरिजनों के अन्दर जो अस्पृश्यता है, वह नहीं मिटी है और इस वास्ते उनके लिये दस वर्ष के लिये और रिज़र्वेशन को बढ़ाया जाए । उसने इस रिजर्वेशन को बढ़ाया है । हम नहीं चाहते कि इस देश के अन्दर कोई कम्युनिटी या कोई सम्प्रदाय हमेशा के लिये एक बैनिफिटेड क्लास हो करके बना रहे । हम तो चाहते हैं कि देश का हर तबका सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से शैक्षणिक तरीके से तथा नौकरियों में और साथ ही साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बराबर का स्थान पाए । अगर आज देहातों में जहां अनपढ़ लोग रहते हैं, अस्पृश्यता बरती जाती तो मुझे उतना अफसोस न होता, यह क्षम्य हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आफिसेज में, बड़ी बड़ी जगहों पर जब अस्पृश्यता बरती जाती है तो देख कर आश्चर्य होता है । लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से हिन्दुस्तान की सर्विसेज के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के कैन्डिडेट्स को कोचिंग क्लासेज में ट्रेन किया जा रहा है उन के साथ भी अस्पृश्यता बरती गई, और सरकार के सामने यह सवाल आ चुका है । इतना ही नहीं बड़े बड़े आफिसेज में देखा जाता है कि अस्पृश्यता बरती जाती है मुझे अनुभव है

कि शुरू शुरू में जब आज से १२ या १४ साल पहले मैं बनारस के कोर्ट्स में वकालत करने गया था तो वहां पर वकीलों के अन्दर भी यह चीजें थीं। चार, पांच साल पहले जौनपुर कोर्ट के अन्दर जब एक हरिजन वकालत करने गया तो वहां भी मैंने देखा कि दूसरे वकीलों के पानी के ग्लास बदल दिये गये। उसके लिये वह वर्जित हो गया। यह कोई एक बात नहीं है। आज भी जब मैं सुनता हूं कि इलाहाबाद के आफिसेज में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के आफ़िसेज़ में हमारे पढ़े-लिखे भाई इस ओर जागरूक नहीं है तो मुझे आश्चर्य होता है। वे अब भी चाहते हैं कि देश में यह मर्ज बना रहे। मैं कहना चाहता हूं कि इसको दूर करने के लिये हर इन्सान के ऊपर हर पढ़े-लिखे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, उसका कर्तव्य है कि वह इसको देश से निकाले।

आज, जैसा कि मेरे कुछ साथियों ने कहा, सरकार लाखों या करोड़ों रुपये खर्च करती है। जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट है, जो कि हर साल निकलती है, उस में भी हम लोग यह बात पढ़ते हैं और सदन के भी समक्ष आता है कि लाखों रुपये जो स्टेट्स को दिये जाते हैं, स्टेट सरकारें बड़ी ईमानदारी से उसे लौटा देती हैं, उसे खर्च नहीं करती हैं। अगर उस पैसे को खर्च न करके लौटाना ही ईमानदारी की बात मान ली जाए, तो मैं यह कह सकता हूं कि वे ईमानदारी से इस देश से अस्पृश्यता को खत्म करना नहीं चाहती हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार की मैशीनरी थोड़ी **टाइट** नहीं की जाएगी, जब तक उनकी तरफ से कोई अच्छा कदम नहीं उठाया जायेगा, जो लोग इस तरह का बरताव करने वाले हैं उनके खिलाफ जब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जायेगा तब तक इस देश से यह चीज जा नहीं सकती। मैं भी अपने अन्य साथियों की तरह से सरकार से मांग करूंगा, जैसा कि संविधान में एक क्लाज दिया था, कि हरिजनों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की नाप तौल करने के लिये एक मिशन बिठाया जायेगा, कम से कम आज बारह वर्ष के बाद तो सरकार एक कमिशन बिठलाये और यह देखे कि कौन से सामाजिक और आर्थिक वजूहात हैं जिनकी वजह से यह अस्पृश्यता देश से दूर नहीं हो रही है। वह कमिशन सब वजूहात को ढूंढ निकाले और उसको दूर करने के लिये उचित रूप से कदम उठाये जायें।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री बाल्मीकी ने रक्खा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन के कई कारण हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि वास्तव में अनुसूचित जातियों के लोगों ने कुछ तरक्की की है, वे कुछ आगे बढ़े हैं तो उसको भी देखा जाये, और अगर वे वैसे के वैसे ही हैं तो उसे भी देखा जाय। लेखा जोखा जब तक नहीं लिया जायेगा तब तक फैसला नहीं हो सकता। श्री बाल्मीकी जी ने जो कहा है कि कम से कम उनकी स्थिति को देखा जाये कि राजनीतिक दृष्टि से वह कितने आगे बढ़े हैं सामाजिक दृष्टि से कितने आगे बढ़े हैं, और आर्थिक दृष्टि से कितने आगे बढ़े हैं इन तीनों बातों को जब तक हम न देखें तब तक उनकी समस्या में कितना सुधार हुआ है, वे समाज में कितने आगे आये हैं, इसका फैसला नहीं किया जा सकता।

हर साल शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट को हम लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। देखने से यह ज्ञात होता है कि जितनी तरक्की होनी चाहिये थी, जितना आगे उनको जाना चाहिये था उतना नहीं जा पाये हैं। आंकड़े देखकर तो मैं बाद में बतलाऊंगा, किन्तु पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं उन्होंने प्रति वर्ष बहुत सारी सिफारिशें कीं, और सिफारिशें करके यह कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको

श्री नवल प्रभाकर]

अमुक अमुक काम अनुसूचित जातियों के लिये करने चाहियें और केन्द्रीय सरकार को यह यह करना चाहिये । इस बार जो रिपोर्ट मिली है उसमें मैंने देखा कि ४४४ सिफारिशें हैं। शुरू में थोड़ी थीं और वे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं । ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनको आदत सिफारिशें करने की हो गई है और सरकार जो है उसको आदत हो गई है कि इस तरह से सोचे कि सिफारिशें बढ़ती रहें, कोई हर्ज नहीं है उनका । लेकिन इसका निर्णय कौन करे । उनका एक कमिश्नर बैठा है जो कि निष्पक्ष भाव से बैठा हुआ यहां सब कुछ देखता है । वह सिफारिश करता है, वह उन लोगों से मिलता है, घूमता फिरता है और जो उनकी अवस्था है उसको देखता है फिर सिफारिश करता है । लेकिन उन सिफारिशों के ऊपर न तो राज्य सरकारें अमल करती हैं और न केन्द्रीय सरकार अमल करती है ।

यहां कहा जाता है कि नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये रिजर्वेशन रक्खा गया है । लेकिन जब मैं आंकड़े देख रहा था अभी, तो मुझे ज्ञात हुआ कि जितनी सीटें उनके लिये रक्खी गई हैं उतनी पूरी भी नहीं हो पाई । इसमें एक स्टेटमेंट है :

"Statement showing the number of reserved vacancies notified and filled by the employment exchanges in various States for Scheduled Castes applicants during the year 1960."

इसमें मैं राज्यवार नहीं जाऊंगा, जो टोटल है उसको ही बतलाऊंगा । जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन की तरफ से १,२१,००८ नौकरियां निकलीं, राज्य सरकारों की ओर से २,३५,७२८ नौकरियां निकलीं, और जो दूसरे थे उनकी तरफ से १,४३,५६४ निकलीं । उनके लिये इसमें कहा गया है कि जो रिजर्व्ड सीट्स थीं वह १०,६२३ थीं । लेकिन उनमें से अब तक कितनों को अवसर मिला ? केवल ५१०३ को । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि १०,६२३ में से केवल ५,१०३ लिये गये हैं । लगभग ५,००० स्थान ऐसे हैं जिनमें वे लोग नहीं लिये जा सके । इसके भी दो तीन कारण हो सकते हैं । साधारणतया यह कहा जाता है कि जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं वे इतने काबिल नहीं हैं कि उनको लिया जा सके । अगर काबिल नहीं हैं तो यह आपकी कमजोरी है । सरकार को देखना चाहिये कि इसका वजह क्या है हमारा यह कहना है कि हम उनको समान स्तर पर लायेंगे लेकिन अगर वे समान स्तर पर नहीं आते हैं तो यह दोष किसका है ? कहा जाता है कि वे काबिल नहीं हैं । अगर वें काबिल नहीं हैं तो उनको काबिल बनाना चाहिये । मैंने देखा कि रेलवे मंत्रालय में बहुत सी वैकेन्सीज थीं लेकिन वे बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई थीं । जब हमारे श्री जगजीवन राम रेलवे मंत्री हुए तो उन्होंने क्या किया ? उन्होंने कहा कि रेलवे को सारी वैकेन्सीज उन लोगों से भर ली जायें । अब आखिर उनके लिये कहां से लोग आयें ? उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ले लिया और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर ठीक कर लिया । इसी तरह से मैं चाहता हूं कि यहां पर पूरा जायजा लिया जाये । मैं यहां पर देख रहा हूं कि एक अजीब प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में आती जा रही है । जहां हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से लोग आगे बढ़ गये हैं वहां हम उसके विरुद्ध भी देखते हैं । मैं पिछले रोज पढ़ रहा था,

२६ मई को हमारे माननीय सदस्य श्री रामेश्वरानन्द जी ने शिक्षा के अनुदानों पर बोलते हुए कहा था कि उनके दिल में दुःख था कि हरिजनों ने उनको मत नहीं दिया । बात जो भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या इस कारण को लेकर जो सिद्धान्त हैं वह छोड़ दिया जाये ? वे सिद्धान्त जो परम्परा से चले आ रहे हैं और आर्य समाज में तो खास तौर से चले आ रहे हैं । मैंने देखा कि पहले उन्होंने मंत्र को कोट किया और समानता की बात कही । लेकिन इसके बाद समानता को भूल गये और आगे जाकर उन्होंने दूसरी बात कही । क्योंकि हरिजनों ने उनको वोट नहीं दिया था इसलिये उन्होंने कहा कि हरिजनों पर जो पैसा खर्च किया जाता है वह निराधार है । मैं कहता हूं कि जिस बड़े आदर्श को वह मानते चले आ रहे हैं थे, जिसको स्वामी दयानन्द ने मान्यता दी, जिसको स्वामी श्रद्धानन्द ने बढ़ाया, उसको वे भूल गये और इसलिये हरिजनों ने उनको वोट नहीं दिया । स्वामी जी को समझना चाहिये हरिजन अपने भले बुरे को अच्छी तरह समझते हैं । अगर स्वामी जी अपने सिद्धान्त को न भूलते और सही सिद्धान्त पर चलते तो हरिजन उनको वोट देता । एक कांग्रेस सदस्य ने भी इस बात का जिक्र किया, उनको भी दुःख था कि हरिजनों ने उनको वोट नहीं दिया । इसलिये उन्होंने कहा कि हरिजनों पर रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : यह जो कहा जा रहा है क्या यह आपकी दृष्टि से उचित है ?

श्री नवल प्रभाकर : इससे यह ज्ञात होता है कि जो मानसिक ......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रिजोल्यूशन पर ध्यान दें ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं रिजोल्यूशन की बात ही कहता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द : इनको क्या मालूम कि मुझको किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया । क्या यह बात यहां कहने की है । ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं यह कहना चाहता हूं

श्री रामेश्वरानन्द : इनके पास क्या सबूत है कि हरिजनों ने मुझको वोट नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य स्वामी जी को छोड़ कर रिजोल्यूशन पर आवें ।

श्री नवल प्रभाकर : जो बात हमारे मन के अन्दर छिपी रहती है जब दुःख होता है तो फूट पड़ती है । इसी तरह से स्वामी जी चाहे कितने ही ऊंचे बढ़ गए किन्तु उनके मन में जितनी

अध्यक्ष महोदय : अब स्वामी जी को छोड़िये और रिजोल्यूशन पर बोलिये, आपका वक्त भी खत्म हो लिया । यह कमीशन मुकर्रर हो या न हो।

श्री नवल प्रभाकर : मैं समाप्त करता हूं ।

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिये बात कहते हैं उसको दिखाना चाहता था ।

मैं पूर्णतया इस संकल्प का समर्थन करता हूं । मेरा अन्त में कहना है कि कुछ लोग

[श्री नवल प्रभाकर]

दिखाने के लिये तरह तरह की बात करते हैं उनकी कथनी और करनी में भेद होता है। तो इन सब बातों का जायजा लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं बाल्मीकि जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती गंगा देवी (मोहनलाल गंज) अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक हरिजन द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाए यह हमारी सरकार के लिये प्रशंसा की बात नहीं है। आज आजादी के १४ साल बाद भी हमें इस प्रकार की बात करनी पड़ती है यह दुःख की बात है। जैसा कि अभी हमारे एक भाई श्री नवल प्रभाकर जी ने कहा, महात्मा गांधी ने इस आन्दोलन को उठाया था, स्वामी दयानन्द ने जाति पांत का भेद मिटाने का बहुत कुछ आन्दोलन देश के अन्दर किया था। बापू का तो यह हाल था कि जहां कहीं भी उनका कार्यक्रम होता था तो वह हरिजन बस्ती में अपने ठहरने का और प्रवचन करने का कार्यक्रम रखते थे। इससे हमारी हरिजन बस्तियों पर, विशेष कर मेहतर बस्तियों पर, बहुत असर पड़ता था। उनके साथ साथ और भी बहुत से व्यक्ति जो कि आरथोडोक्स होते थे वह भी वहां जाकर उनके साथ साथ सहभोज में शरीक हुआ करते थे। यह एक तरीका था अनटचेबिलिटी को दूर करने का। लेकिन अब यह बात बहुत दूर चली गई है। हमारा कोई कार्यक्रम अछूतों तक नहीं पहुंचता। जब किसी बड़े व्यक्ति का कार्यक्रम होता है तो वह गन्दी बस्तियों को छिपा कर होता है या गन्दी बस्तियों से दूर होता है। उनको परदे के पीछे छिपाया जाता है। जब कोई विदेश से आता है तो उसको भी जहां अच्छा, सुन्दर साफ स्थान होता है और जहां डेवलेप्ड एरिया होता है वही दिखा दिया जाता है जिससे वह यह समझे कि इन्होंने अपने देश में सारी कुरीतियों को खत्म कर दिया है और अब इस देश में छुआछूत नहीं रही है।

इस प्रकार की बातों के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगी कि हमारे लिये जो दस वर्ष का समय पहले रखा गया था वह तो बड़ी आसानी से चला गया। और यदि हम अब भी बहुत सतर्कता से अपना काम नहीं करेंगे तो अगले सद वर्ष के बाद भी हम जहां के तहां रहगे। हमारे उत्थानार्थ कामों को करने के लिये आज बहुत सी योजनायें बनी हैं। लेकिन हमें देखना है कि वे कहां तक पूरी होती हैं। उस दिन हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर साहब ने जवाब देते हुए हमको फिगर दिखाये थे कि इतने अनटचेबिलीटी के केसेज हुए हैं। लेकिन हमको यह नहीं बताया कि कितने केसेज को डील किया गया और कितनों में पनिशमेंट मिली। आज देश के अन्दर इस प्रकार के केसेज होते हैं लेकिन थानों के अन्दर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और उनको दबा दिया जाता है। आप अनपढ़े लिखे लोगों की बात छोड़िये वे तो इन बातों को समझते ही नहीं। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग भी दखते हैं कि आज गवर्नमेंट आफिसेज़ में अनटचेबिलिटी बरतते हैं। यह बिल्कुल साक्षात है। इसको कोई देखता नहीं, जिनको वह कहते हैं वह भी वही लोग होते हैं इसलिये वे बेचारे विवश होकर बैठ जाते हैं, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता।

आज हालत यह है कि यदि एक चपरासी को रखा जाता है तो पूछा जाता है कि वह किस जाति का है ताकि उसके हाथ का पानी पिया जा सके। यह हर जगह हो रहा है। लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती और न इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है।

क्या हम सोच सकते हैं कि इस तरह से देश के अन्दर से अनटचेबिलिटी खत्म होगी । मैं कहती हूं कि यदि आप इस प्रकार कानून बना कर छोड़ देंगे तो हजारों सालों तक यह चीज़ खत्म नहीं होगी और हम इस कलंक को अपने देश से नहीं धो सकेंगे ।

अब विशेष बात यह देखने की है कि समाज से यह बुराई किस प्रकार से दूर हो सकती है । इसके लिय हरिजनों की आर्थिक अवस्था को संभालना बहुत जरूरी है । इसके लिये बहुतसे काम किय जा सकते हैं लेकिन उनमें सब से आवश्यक है शिक्षा । उनकी उन्नति करने के लिय सबसे जरूरी है शिक्षा और उसके बाद उनको काम देना । शिक्षा के बारे में मैंने कई बार सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के सामने इस बात को कहा है कि हरिजन बच्चों के लिये, उन बच्चों के लिये जिनके माता पिता यह भी नहीं समझते कि शिक्षा क्या चीज है, शिक्षा का क्या महत्व है, एसे बच्चों के लिये ऐसे स्कूल खोलना बहुत जरूरी है जिनमें उन बच्चों को रखा जाए और उनके पढ़ने, लिखने और खाने पीने और कपड़े का सारा इन्तजाम सरकार की ओर से हो, और उनको अच्छे प्रकार से रखा जाए और उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, उनको यतीम बच्चों की तरह न रखा जाए ताकि उनका मानसिक विकास हो और शारीरिक विकास हो । ऐसी संस्थायें होनी चाहियें जिनमें उन बच्चों के कैरियर बन सकें जिससे वह समाज के लिये उपयोगी बनते हुए अपनी उन्नति कर सकें और आगे बढ़ सकें ।

जहां तक उद्योग धंधों का सवाल है, आज बहुत से उद्योग धन्धे चल रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड एरियाज में और हरिजन बस्तियों में आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया है । वे लोग समझते नहीं लेकिन कोई जाकर उनको कहने वाला नहीं है । मैंने देखा है कि जितनी इंडस्ट्रीज चलती हैं वह हरिजनों की बस्ती में नहीं खोली जातीं । जितना भी इंडस्ट्रीज का पैसा है वह शहरों में लगा दिया जाता है और हरिजनों को कोई उद्योग धन्धा नहीं दिया जाता जिससे वे अपनी आर्थिक समस्या हल कर सकें ।

17.00 hrs.

जमीन का जहां तक मसला है, जमींदारी एबालीशन के बाद करोड़ों एकड़ जमीन राज्य सरकारों ने और केन्द्रीय सरकार ने रिक्लेम की, लेकिन उसमें से मैं यह कह सकती हूं कि एक फी सदी भी हरिजनों को या भूमिहीन मजदूरों को नहीं मिली क्योंकि उसका बटवारा करने वाले और उसको एलाट करने वाले नान हरिजन थे, उन्होंने जमीन आपस में बांट ली ।

आज जमीन हरिजनों के पास नहीं है । और न ही हरिजनों के पास कोई उद्योग धन्धे ही हैं । जो शिक्षा हरिजनों ने पाई भी है वह सरकारी प्रेरणा से नहीं पाई है । वह उन्होंने अपने ही इनीशियेटिव से प्राप्त की है ।

सन् ५२ से लगातार हर मौके पर हम इसकी मांग कर रहे हैं कि हरिजन मिनिस्टरी हरिजनों के welfare के लिये अलग से होनी चाहिय ताकि वह उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सके और उनके अपलिफट के प्रोग्राम्स को इम्पलिमेंट करा सके । मेरा कहना यह है कि एक हरिजन ऐडवाइजरी बोर्ड कायम करने से हिन्दुस्तान के आठ करोड़ हरिजनों की समस्या हल नहीं हो सकती है । ऐडवाइजरी बोर्ड के जरिये हम इस पुराने रोग का सही इलाज नहीं कर सकते हैं ।

हमारा लक्ष्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना है लेकिन मेरा कहना है कि अभी हम उससे बहुत दूर हैं और मैं समाजवाद

[श्रीमती गंगा देवी]

की कुछ फीगर्स सदन के सामने रखना चाहती हूं

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्या को अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये ।

श्रीमती गंगा देवी : बस मैं समाप्त किये देती हूं । १३८१ करोड़ ६६ लाख और ८३ हजार रुपये गवर्नमेंट आफ इंडिया का टोटल ऐक्सपेंडीचर है जिसमें से शेड्यूल्द कास्ट्स पर कैपिटा १६ नये पैसे सालाना खर्च होता है अर्थात् सवा नय पैसे प्रति मास खर्च आता है जब कि जनरल पापुलेशन के लिये नान हरिजन पर पर कैपिटा एक्सपेंडोचर ३१ रुपय ५४ नय पैसे सालाना होता है अर्थात् २ रुपय ६३ नये पैसे प्रति मास खर्च आता है । अब जाहिर है कि यह तरीका देश में समाजवाद लाने का नहीं है और इस तरह से हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं । हमें अपने आज के तौर तरीके को बदलना होगा और सक्रिय रूप में उनकी मदद करनी होगी तभी हम हरिजनों को ऊपर उठाने में कामयाब हो सकते हैं ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, श्री वाल्मीकी ने सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है उस का मैं समर्थन करता हूं । मैं जिस जगह से आता हूं वहां पर ८ असेम्बली की सीट्स पर जनसंघी चुने गये हैं और नवां मैं लोकसभा में जनसंघ के टिकट पर चुन कर आया हूं । मुझे हरिजनों ने वोट दिया है । अभी आक्षेप किया गया है कि श्री रामेश्वरानंद को हरिजनों ने वोट नहीं दिया लेकिन मैं तो अपनी जानता हूं कि मुझे हिरजनों ने वोट दिया है । कांग्रेस के प्रति हरिजनों के असन्तोष का कारण यह है कि कांग्रेस की जो हरिजनों के प्रति नीति है उस की कथनी और करनी में फर्क है और इसी वास्ते उन्होंने जनसंघ को वोट दिया है । यही कारण है कि हमारे बहुत से हरिजनों ने डा० अम्बेडकर की पार्टी को ज्वाएन कर लिया है और वह जय भीम कहते हैं क्योंकि वह कांग्रेस से ऊब गये हैं । इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रैड टैपिज्म का इस कदर बोलबाला है कि उसके कारण हमारे हरिजन भाइयों को भारी मुसीबत और असुविधा का सामना करना पड़ता है और वह बेचारे चक्कर खाते खाते थक गये हैं । वह कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात का दावा तो करती है कि हम हरिजनों की मदद करते हैं और उनको ऊपर उठाना चाहते हैं लेकिन वास्तव में अमली तौर पर हरिजनों की मदद नहीं कर रही है ।

हमारे यहां एक हिरजन को ५ रुपया महीना बतौर स्कालरशिप देते हैं लेकिन वह पांच रुपया साल खत्म होने के बाद अर्थात् १२ महीने बाद जाकर मार्च में मिलता है और जिसका कि परिणाम यह होता है कि कर्ज लेकर और भारी ब्याज अदा कर वह स्कूल में पढ़ता है । जो पैसा बाद में मिलता भी है वह उस साहूकार को उसे ब्याज और मूल चुकाने में काम पड़ता है और परिणामस्वरूप वह दिन पर दिन कर्ज के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है । साहूकार से १०० रुपया कर्ज लेने पर २५ रुपये सूद देना पड़ता है । अब सरकार तो पैसा साल के बाद देती है और कर्ज लेने के अलावा उनके पास दूसरा चारा ही नहीं रहता है । अब १५ रुपये महीने की जो छात्रवृत्ति हरिजनों को मिलती है वह बिलकुल ही नाकाफी होती है और उस से उसका काम नहीं चलता है । कांग्रेस के जितने वहां मिनिस्टर्स बैठे हैं उनको यह ध्यान ही नहीं आता है कि उनका १५ रुपये में क्या बनेगा? एक दफा खाना खाने और कपड़ा पहनने के वास्ते भी यह १५ रुपये पूरे नहीं पड़ेंगे । लेकिन इतने पर भी हरिजनों के वास्ते वह स्कालरशिप की रकम हमारे यहां की मिनिस्टरी बढ़ाने को तैयार नहीं है । हरिजन किसानों को खुश करने के लिए एक हरिजन डिप्टी मिनिस्टर बना दिया गया है । अब जैसा मैं ने कहा कांग्रेसजनों की

कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। अब वैसे तो कांग्रेसमैन गांधी जी के कमर तक के बड़े फ़ोटो बना कर हरिजन उद्धार करने का वायदा करते हैं और दावा करते हैं लेकिन दरअसल महात्मा जी के सिद्धान्तों का पालन नहीं करते हैं और अपने वायदों को कार्यरूप में परिणित नहीं करते हैं। यही कारण है कि हरिजन कांग्रेस से काफी असन्तुष्ट हो गये हैं और काफी तादाद में वह डा० अम्बेडकर के फौलोअर्स हो गये हैं और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ कर जय भीम कहना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इसके ऊपर आईये कि कमिशन मुकर्रर हो या नहीं।

श्री बड़े : जी हां वह तो मैं कहूंगा ही और मैं ने शुरू में कह ही दिया है कि मैं श्री बाल्मीकी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें कि अनटचेबिलिटी के रिमूवल के वास्ते एक कमेटी की स्थापना की मांग की गई है।

आज दस साल के बाद भी हरिजनों को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिलती हैं। उनका रिजर्वेशन कोटा फुलफिल नहीं हो पाता है। अब हरिजनों की इस हीन अवस्था के लिए केवल राजनीतिक स्थिति ही जिम्मेदार नहीं है अपितु आर्थिक और सामाजिक अवस्था भी उसके लिए जिम्मेदार है। अब आर्थिक अवस्था उनकी बड़ी दयनीय रहती है और चूंकि बी० ए०, एम० ए० और इंजीनियरिंग आदि पढ़ने के लिए उनको स्कालरशिप मिलता नहीं है इसलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब पैसा उनके पास होता नहीं है और स्कालरशिप मिलता नहीं तो फिर कैसे वे आगे बढ़ सकते हैं? इस कारण आज उनमें असन्तोष है और वह कांग्रेस को वोट देकर अन्य पार्टियों को वोट देते हैं।

पिछले दस साल के कटु अनुभव के आधार पर मेरा ख्याल है कि यह जो कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव रक्खा है वह "अशुभस्य काल हरणम" हो जायेगा। अब जैसा कि शासन का सिलसिला है एक कमिशन मुकर्रर होता है वह साल दो साल तक बैठ कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और फिर गवर्नमेंट द्वारा उस की रिपोर्ट पर विचार होता है लेकिन उस की सिफारिशों पर जहां तक अमल करने का सवाल है वह टलता जाता है और पिछला अनुभव यह बतलाता है कि उन पर ठीक से अमल नहीं हो पाता है। अब ढेबर कमिशन की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि हरिजनों की कैसी दयनीय अवस्था है। हमारे हरिजनों के पास जमीन नहीं है और स्थिति यह बनी कि उन बेचारों ने फौरेस्ट ऐरिया की जमीन पर कब्जा कर लिया था तो उनको इसके लिए २५० रुपया फाइन हो गया है और उनको उन जमीनों से निकाल दिया गया है। अब हरिजन भी उसी गांव में रहते हैं जिसमें सवर्ण हिन्दू रहते हैं और दरिया में रह कर मगर से बैर हो नहीं सकता इसलिए वह बेचारे उन सवर्ण हिन्दुओं से दब कर रहते हैं और कोर्ट में कोई मुकद्दमा कभी कभार जाता भी है तो उसमें वे कम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि रहना तो उनको उसी गांव में है।

मरे हुए ढोर के चमड़े का ठेका कोई २००० रुपये का मुसलमान ले लेता है और फलस्वरूप हरिजनों को जो हर साल हजार दो हजार रुपये इस काम में मिल जाया करता था, मुसलमान को यह ठेका दिये जाने से उस आमदनी से भी वह हाथ धो बैठे हैं। अब हरिजन यह समझने पर मजबूर हैं कि यह कांग्रेस गवर्नमेंट बजाय हमारा कल्याण करने के अकल्याण कर ही है। मध्य प्रदेश में वैस्ट निमाड़ में हरिजन पहले से ही गरीब थे और उनकी आर्थिक अवस्था शोचनीय थी लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनको और भी गरीब बना दिया है। छात्रवृत्ति का पैसा उनको मिलता नहीं है और इस वास्ते हरिजन आगे बढ़ नहीं सकते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं।

पहले गांव में जो होटल है उस में सवर्ण हिन्दू, हरिजन और मुसलमान सब एक जगह

[श्री बड़े]

बैठ कर चाय पीते थे लेकिन कांग्रेसियों ने हरिजन डे मनाया और उस दिन जबर्दस्ती होटल में घुसे और आपस में इससे दुश्मनी और झगड़ा हो गया। अब मेरा कहना यह है कि इस सामाजिक विषमता और मतभेद को प्रेम से दूर किया जाना चाहिए नकि इस कार के आंदोलनो से जो कि यह कांग्रेस वाले करते हैं। इससे बेकार में आपस में दुश्मनी और झगड़ा ही पैदा होता है।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि श्री बाल्मीकी एक कमेटी कायम करके जो देश भर में सर्वे करना चाहते हैं कि छुआछूत किस हद तक मिट गई है, वह स्वागत योग्य प्रस्ताव है। अगर हरिजनों को ऊपर लाना है तो उनकी आर्थिक स्थिति को हमें सुधारना होगा। अगर हरिजन आर्थिक दृष्टि से सबल हो जायं तो यह छुआछूत दो दिन में मिट सकती है। इसलिए हमें उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

17.10 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Siddiah (Chamarajanagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, most of the hon. Members who have spoken have expressed in detail the conditions of the Scheduled Castes in India. I admit that various steps have been taken by the Governmen of India as well as by the State Governments to improve their conditions. In the First Five Year Plan about Rs. 1.383 crores were spent for the removal of untouchability only, and in the Second Five Year Plan Rs. 1.22 crores were spent. but having spent all this amount if we just see whether the results achieved are commensurate with the expenditure incurred, we will find that in the villages untouchability exists even today to a very considerable extent. It may be that in the cities and towns it is gradually disappearing, but the fact remains that even today it is being observed on an extreme scale in the rural parts. The All India Harijan Sevak Sangh and the Depressed Classes League and such other voluntary organisations have been doing propaganda and publicity with regard to the removal of untouchability, but even today in a number of villages the Harijans are not allowed to take processions in the streets. They are not allowed entry into hotels, barber shops, temples and such other public places.

The main point that we are now considering is whether there is a necessity to have a committee appointed for the purpose of investigating into these things. I know that the hon. Deputy Minister will come and tell us that there is a Commissioner appointed under the Constitution for this purpose and he is investigating into this; therefore, there is no necessity for the appointment of a committee. But let us examine how far the Commissioner is in a position to assess the progress made so far. I submit that neither the State Governments nor the Government of India is assisting the Commissioner in discharging his duties properly. Most of the recommendations made by him are not implemented by the State Governments as well as by the Government of India. Not only that, even the decisions taken by the State Governments themselves are not being implemented. I will give you one instance.

In the year 1958 a conference of the State Ministers who were in charge of these welfare departments was convened under the presidentship of the late Pandit Pant, the Home Minister. Some important resolutions were passed by that conference which were very simple in character. That was done with the object of intensification of this programme for the removal of untouchability. The idea was to see that untouchability was removed by

the end of the Second Five Year Plan period. I will just narrate two resolutions which are very important one is:

"There should be no separate institutions, hostels or colonies exclusively for Harijans."

The second one is:

"The name Harijan should be removed from the existing institutions, hostels or colonies wherever it exists."

These two simple resolutions were not implemented by most of the States. Take for example the State of Mysore. You know, Sir, in the old Mysore area even today there are primary schools separately meant for Scheduled Castes. Not only that, they are named after the various subcastes to whom they belong. There are Adikarnataka Primary Schools and Adidravida Primary Schools and no action has been taken till today to remove the segregation. In many villages there will be one Scheduled Castes Primary School and one non-Scheduled Castes Primary School. That way untouchability has been allowed to thrive on. It has increased in a way. These schools are all Government schools. They are not private schools.

Similarly, in Mysore there are separate Government hostels meant for Scheduled Castes and nothing has been done so far to have common hostels. I find that after this conference the Minister who participated in this conference went to Mysore and what he did was to start separate hostels for Harijans. Instead of implementing this recommendation or this resolution, to which he himself was a party, he went on starting separate hostels for Harijans. And in that way he did injustice to this case. And most of the students who were maintained in common hostels left those hostels and came to the Harijan hostels. Is this the way the Government of the State should conduct themselves with regard to the removal of untouchability?

So far as the Government of India is concerned, most of the recommendations made by the Commissioner are not implemented by the Government of India themselves. When we point this out, the hon. Minister will come forward and say, "No, it is the duty of the State Governments to do it". But I would like to put one question to the hon. Minister, whether these recommendations have been implemented in the Union Territories which are directly under the control of the Home Ministry. I find from the report that most of the recommendations have not been implemented. Not only that. The information called for by the Commissioner has not been made available to him. For example, from the report for 1958-59 we find that the Commissioner had asked for information regarding the number of students studying in various schools at the primary level, at the middle school level and at the post-matric level. The Education Ministry has failed to supply this information even after two years. That is admitted in the Statement of Action taken by the Government of India.

Then, with regard to the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in government service, particularly in the Government of India, information was called for by the Commissioner from the Home Ministry. The Home Ministry has not been able to supply that information. That is admitted by the Commissioner himself.

Thus we find that the Commissioner, whose duty is to assess the progress made, has not been in a position to do it on account of these various factors. Therefore, the resolution just seeks a Committee to be appointed to find out how much progress has been made in various directions.

If the Committee is appointed, after all, what is it going to do? It is a fact-finding committee. It will find out facts and present them to the Gov-

[Shri Siddiah]

ernment for suitable action. I do not know why the Government of India is afraid of appointing a committee, unless it be that they are afraid of facing facts. Otherwise there is no reason why they should oppose the appointment of a committee.

I have tabled two amendments with regard to this resolution. One is with reference to the words "Scheduled Castes". My friend Shri Balmiki has suggested "Harijans and depressed classes". Now both the expressions are synonymous, and the Government of India is using the words "Scheduled Castes", and even in the Constitution we are called Scheduled Castes. And therefore I have used that expression. Secondly, I want this all-round improvement to be done in the course of ten years, because there seems to be a tendency on the part of the Government of India, as well as the State Governments to treat this important welfare scheme as a casual one. They think that they can go on spending some amount on this and then the problem will solve itself after some time. I do not think that that is a proper approach to this problem. The Government of India should have a programme for this, and they must fix up some targets to solve this problem. Some people may ask, "How is it possible to measure this untouchability?" I say that it can be measured by the number of temples opened, the number of barber shops opened, the number of tanks and wells opened, and the number which are not open to the Scheduled Castes. This way it is very easy to make out and assess the progress made. I therefore sugest that this resolution may be accepted and suitable action may be taken on it.

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय श्री बाल्मीकी जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । उन्होंने प्रस्ताव में कहा है कि एक कमेटी के माध्यम से इस बात की जांच की जाए कि हमारे देश में अस्पृश्यों के सम्बन्ध में, उनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास के सम्बन्ध में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने को बाकी है । वह चाहते हैं कि कमेटी अपने सुझाव इस विषय में प्रस्तुत करे । उन्होंने यह भी चाहा है कि वह कमेटी देखे कि जब से देश आजाद हुआ है तब से हम किस हद तक विकास की ओर गए हैं, तथा अनटचेबिलिटी किस हद तक दूर हुई है । यह प्रस्ताव बड़ा अनुकूल है, उतम है और बड़ा सामयिक है । यह एक थाट प्रोवोकिंग रेजोल्यूशन है और हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि अपनी आजादी के दस बारह वर्षों के अन्दर, अपनी आजादी के दस बारह वर्षों के इतिहास के अन्दर, अपने देश के प्रजातांत्रिक इतिहास के अन्दर, जो डिप्रेस्ड क्लासिस हैं, जो डाउन-ट्राडन क्लासिस हैं, जो अस्पृश्य क्लासिस हैं, जिन के साथ हमारा भावनात्मक और सामाजिक तौर पर कोई सम्बन्ध नहीं रहा है सैंकड़ों बरसों से, उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, उनको कैसे अपने बराबर ला खड़ा किया जाए ।

जब हम इस प्रस्ताव पर विचार करते हैं तो हमें गांधी जी का स्मरण हो आता है । गांधी जी इस देश में कभी इतने बड़े न बनते, इतना महान स्थान उनको कभी न प्राप्त होता और सम्भव है कि वह महात्मा भी न हो पाते, और साथ ही साथ राष्ट्र पिता भी न हो पाते यदि उन्होंने एक बड़ा पवित्र कार्य, हरिजनों के कार्य को आत्मसात न किया होता । राजनीतिक जीवन की उन्नति और प्रगति के साथ साथ एक बड़ा मानवता से सम्बन्ध रखने वाला कार्य, हरिजनोद्धार का कार्य, उन्होंने एक नई शक्ति और स्फूर्ति से नई भावना से आत्मसात किया और उनको सम्बोधन करने के लिए एक सम्पूर्ण सम्मानात्मक शब्द की रचना की जिस शब्द का नाम है "हरिजन" । इस नाम से उन्होंने उनको सम्बोधित किया जिन की संख्या इस देश में बारह तेरह करोड़ से कम

नहीं है । उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि यदि हम से पूछा जाए कि हम किस परिवार में दुबारा जन्म लेना चाहेंगे ो हमें यह पसन्द होगा और हमारा यह सौभाग्य होगा यदि किसी हरिजन परिवार में हम अवतरित हों । यह जो उनके विचार थे, यह हमें इस बात को सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि अस्पृश्य समाज की जो दयनीय स्थिति है, जो दयनीय अवस्था है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है ।

जहां तक वैदिक धर्म की बात है, एक सिद्धान्त की बात कही गई है :—

"न मानुषात् श्रेष्ठतारो हि लोके"

इसका अर्थ यह है कि मनुष्यमात्र तमाम प्राणियों से श्रेष्ठ हैं । लेकिन यह वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, यह समाजीकरण किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ, मैं इसके तिहास में जाना नहीं चाहता हूं । लेकिन जब गांधी जी ने एक आन्दोलन आरम्भ किया तो जो तत्व उन्होंने इस देश में देखा उस तत्व के अन्तर्गत उन्होंने यह भी देखा कि मानव मानव में जो एक प्रकार की विभिन्नता है, एक कार की दूरी है, इसको कैसे पाटा जाए और सको पाटने के लिए सब से पहले उन्होंने इस काम को सेवा की भावना से स्वीकार किया और एक प्रकार का इमोशनल मोमेंटम पैदा किया । वह देश के हरिजनों को चाहे ज़मीन न दे पायें हों, पैसा न दे पाये हों, उनका आर्थिक विकास न कर पायें हों लेकिन एक ऐसा मोमेंटम तो दा किया कि सवर्ण व्यक्ति यह महसूस करने लग गए कि यदि हम हरिजनों को अस्पृश्य भाव से देखते हैं तो यह एक सोशल क्राइम है जो हमें नहीं करना चाहिये । एक ऐसे स्थान पर ला कर उन्होंने उनको खड़ा किया जहां पर एक सी भावना, एक सा सामाजिक व्यवहार उनको मिला और सामाजिक न्याय उनके साथ हुआ और सब से बड़ी बात यह थी कि एक सुन्दर वातावरण तैयार करने में उन्होंने योगदान किया । आज उनको जमीन दी जानी चाहिये, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जानी चाहिये, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय उनके साथ होना चाहिये । गांधी जी ने इस देश में इमोशनल मोमेंटम पैदा किया और इनको ऊपर उठाने का भरसक प्रयत्न किया ।

हमने भी एक प्रस्ताव पास किया है जो कि अस्पृश्यता के निवारण से सम्बन्ध रखता है और उसमें हमने कहा है कि किसी को अस्पृश्यत नहीं कहा जाएगा, इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार नहीं किया जाएगा कि वह अस्पृश्य है और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको सज़ा भी होगी । हमने मंदिरों के दरवाज़े उनके लिए खोल दिये, आराधना और उपासना करने की छूट उनको मिल गई । लेकिन इतना होने पर भी आज भी हम गांवों में तथा दूसरी जगहों पर देखते हैं कि हमारे हरिजन बालक और हरिजन स्त्रियां जो जूठन होती है, जो जूठे पत्ते होते हैं, उनको जा करके खाते हैं । उनकी आर्थिक स्थिति की तो यह हालत है कि पांच वर्ष पूर्व मैं एक गांव में गया था और वहां पर मैंने एक माहौल देखा था । एक बारात थी जहांपर लोग खा रहे थे । यह निश्चित है कि सवर्ण वर्ग एक तरफ था और जब वह खा चुकता था तो जो पत्तलें फेंकी जा रही थीं उन की तरफ हमारी तीन मातायें, हमारी तीन बहनें, हमारे तीन बच्चे और दो पुरुष जा जा कर देखते थे और देखने के बाद जो भी सबसटेंस उनमें बचा होता था, जो भी ईटेबल मैटीरियल बचा होता था उसको बीन बीन कर एक तरफ रखते जात थे । यह हमारे समाजवाद की बात है, एकता और समता की बात है, मानवता की बात है, उसके उत्कर्ष की बात है । मानवता के उत्कर्ष

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

की सभी भावनाओं को सामने रख कर जब मैं इस प्रश्न पर विचार करता हूं तो ऐसा लगता है कि इस दिशा में प्रगति अच्छी नहीं हुई है, उतनी नहीं हो पाई है, जितनी होनी चाहिये थी ।

जिस तरह गांधी जी ने, जिस प्रकार विनोबा जी ने, जिस प्रकार हमारे आदरणीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने इनकी स्थिति को हमारे सामने रखा, मानवता का साक्षात्कार किया, उसके उत्कर्ष, उनकी उन्नति और प्रगति के सम्बन्ध में जिस प्रकार की भावनात्मक एकता की बात को, समता की बात को मानवता की तमाम अनुभूतियों को एक साथ ला करके खड़ा किया, आज उसी के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है । जरूरत इस बात की है कि इनके प्रति न्याय हो, इनको जमीन मिले, इनको नौकरियां मिलें, तथा तमाम दूसरी जो सुविधायें हैं, वे मिलें । ये सब चीज़ें देने की याद हमारे अन्दर भावना पैदा हुई तभी काम आगे बढ़ सकेगा अन्यथा नहीं । अगर हमारे अन्दर यह भावना बनी रहती है कि यह अस्पृश्यत है, यह छोटा है, तो चाहे जितने कानून हम बनाते चले जायें, कुछ होने वाला नहीं है । जब तक हम हरिजनोद्धार की बात को आत्मा से स्वीकार नहीं करेंगे, मन से स्वीकार नहीं करेंगे, भावना से स्वीकार नहीं करेंगे और उस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करेंगे जिसका प्रतिपादन "न मानुषात् श्रेष्ठतरो हि लोके" मे किया गया है तब तक कुछ होने वाला नहीं है । इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि मन तथा आत्मा से हरिजनोद्धार की बात को स्वीकार किया जाए ।

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): I am grateful to the hon. Members who have evinced great interest in the welfare of the Harijans and the removal of untouchability.

The resolution which the hon. Member has moved suggests the appointment of a committee with Members of Parliament and representatives of private institutions to conduct a survey to see how far untouchability has been removed, and how far the Act has been effective in the various States. He has also mentioned that this committee should go and study the progress made by the Harijans and other depressed classes, economically, socially, educationally and also politically.

We all know that article 17 of the Constitution has abolished untouchability, and the Untouchability (Offences) Act of 1955 has made this practice a cognizable offence, and it is punishable with imprisonment or fine or with both. But we are all aware of the fact that the implementation of this Act as of any other Central Act relating to law and order is the concern of the State Governments. This does not mean that we are shirking our responsibility, but, however, we know the importance and in view of the importance of the subject, we are always advising the State Governments to ensure proper and effective enforcement of the law.

In addition, all the State Governments and the Union Territories Administrations have been asked to set up small committees to ensure that the implementation of the Act receives proper attention. We know that all the States have appointed such smaller committees in one form or the other. So, that shows that the committee which is required by the hon. Member to go into this question is there already under the State Governments, and the State Governments are the proper authorities to have the implementation of the Act taken proper care of.

Besides, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as was mentioned by some of the hon. Members, includes in his annual reports the working of this Act in the States and also makes suggestions for eradicating untouchability. The Commissioner's report is discussed every year in this House, and valuable suggestions are made by the Members of Parliament, and note is made of them, and wherever possible and wherever they are within our limits, we try to set things right, and where it is the concern of the State Governments, we bring them to the notice of the State Governments.

Besides this, hon. Members are aware of the Central Advisory Board for Harijan Welfare, which consists of Members and other social workers engaged in this humanitarian work, and they meet twice a year. I would like to say that this advisory board has for its terms of reference certain important items like the following. They are to advise the Government on all matters pertaining to the welfare of Scheduled Castes. They are to assess the requirements of the Scheduled Castes. They also help in the formulation of welfare schemes. They also review from time to time the working of the sanctioned schemes with an appraisal and an evaluation of the benefits derived from these schemes with a view to suggesting improvements or changes in these schemes wherever necessary. This board meets twice a year, and Members of Parliament are connected with this board, and they can bring to the notice of Government whatever lacunae there are in the implementation and whatever improvements are to be made. So, I do not know whether any other committee is necessary at all.

The conference of the State Ministers, as was mentioned by some hon. Members....

श्रीमती गंगा देवी : हमने जो सजेशन दिये हैं ऍडवाइजरी बोर्ड में, उनके ऊपर क्या ऐक्शन लिया गया है ?

Shrimati Chandrasekhar: I would like the hon. Member to let me proceed. Questions can be asked later.

The conference of State Ministers in charge of welfare of backward classes considered among other questions the progress of plan schemes and suggest ways and means of removing the difficulties in the way of achieving maximum utilisation of plan provisions for ths section. The practice of untouchability is a long-standing evil and cannot be changed by just a law. Unless the mind of the people is changed, this evil cannot be eradicated completely. Therefore, it is necessary to take steps to educate the public mind. To this end, the Central Government and also various State Governments are giving grants in aid to non-official organisations for carrying propaganda for eradication of untouchability.

Apart from other reasons, the stigma attached to this section is largely due to the unclean nature of the work in which they are employed. Therefore, schemes to improve the working conditions of these people have been included in the Third Plan. High priority schemes have been planned in the central sector for improving their working conditions. In each Five Year Plan, special schemes have been undertaken for the educational and economic advancement of this section of our population. Government are fully alive to the need of proper evaluation of the schemes for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We also obtain six-monthly reports on progress of work. We see that the physical targets are achieved. If not, account is taken of this when drawing up plans for the next year and it is incorporated there.

During the Second Plan, the working of these schemes was examined by the Estimates Committee of Lok Sabha who in their 48th Report made certain recommendations. A memorandum was laid on the Table of the House on 1st

[Shrimati Chandrasekhar]

May 1961 mentioning the recommendations accepted by Government.

Government are also alive to the need for continuous evaluation of the progress of schemes of State Governments undertaken for the welfare of the Scheduled Castes.

Shri Balmiki is aware of the apointment of the Scavenging Conditions Enquiry Committee of which he was a member. They made a recomemndation that an advisory committee should be appointed to advise on mobilisation of effort for abolishing the practice of carrying night soil as head loads and to improve the working conditions of these people. He is a member of the advisory committee. They will be touring all over the country. They can bring to the notice of State Governments whatever lacunae they notice in the implementation of schemes and also assess the progress of the work.

In the speeches made by hon. Members, certain facts were brought to our notice. I do not think with the time allotted to me it is possible to cover all points. But I would like to point out that there were certain incorrect facts mentioned. It was said that there were no liaison officers appointed. We have appointed liaison officers in different Ministries to see to the implementation of orders of Government, particularly the reservation for them. Shri Ganpati Ram said that there is untouchability in government services. We recently issued instructions warning government servants against it and, if any instance is brought to our notice, it will be considered as misconduct and dealt with accordingly.

About the hostels for Harijans, in many States there is reservation in general hostels for students belonging to Scheduled Castes. Even in Harijan hostels there are provisions made for reservation of 10-20 per cent for non-scheduled caste students. Then again, strict instructions have been issued that the actual amount that has been spent on this subject is to be brought in the progress report but not what is actually set apart or provided. Whenever the hon. Members come across any of these lacunae, I would request them to bring it to our notice. I would also invite hon. Members to meet me outside and make sugestions regarding the working of Untouchability Act or about the progress of schemes for Harijans.

I would, therefore, in conclusion say that there is no real room for a committee to go into these things. There are already some committees to see to the welfare of the Harijans. With these words, I conclude.

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने समवेदनापूर्ण भावों के साथ हरिजनों की समस्या पर प्रकाश डाला है और सभी ने उस का समर्थन किया है । मैं हृदय से उन के प्रति आभार प्रकट करता हूं । माननीया मंत्राणी जी के भाव भी मैं ने इस संकल्प पर सुने हैं और जो उन का उत्तर है उस में उन्होंने अन्त में मुझ से यह कहा है कि मैं इस संकल्प को वापिस लूं । यह एक अलग बात है । लेकिन यह बात अवश्य है कि अस्पृश्यता की समस्या, देश के हरिजनों की समस्या, जो कि सदियों से चली आती है, आज भी विकट बनी हुई है । उस के पीछे क्या भावना है ? आज की उपस्थिति और आज की आफिशल गैलरीज की उपस्थिति हमें बतलाती है कि किस प्रकार सरकार इस स्मस्या को हल करना चाहती है ।

यह समस्या समाज का दोष है, समाज का कोढ़ है, समाज की बीमारी है, जिस को दूर करने के लिये हर प्रकार से प्रयत्न करने चाहियें । ठीक है, मैं अपने संकल्प को वापस भी ले लेता हूं,इस भाव या इस विचार के साथ, लेकिन क्या इस से यह समस्या हल हो जाती है । समस्या अपने विकट रूप में उसी प्रकार से विद्यमान है और समस्या का हल जो कुछ हो भी रहा है वह एक प्रकार से हृदय से नहीं हो

रहा है, उदासीनता से हो रहा है, यह बात बिल्कुल साफ जाहिर है ।

जहां तक राज्यों के उत्तरदायित्व का प्रश्न है, मैं कहने के लिये तैयार हूं कि हरिजनों की समस्या को हल करने में, अस्पृश्यता के निवारण में राज्य बहुत उदासीनता से कदम उठा रहे हैं । यही नहीं बल्कि जो मंत्रिगण हैं, यहां तक मुख्य मंत्री भी, उन को फुर्सत नहीं है कि वे इस समस्या प्पर विचार कर सकें । इस प्रकार से समस्या हमारे सामने अलग रूप में आती है । मैं उस के अनेक पहलू जानता हूं । जैसा यहां कहा भी गया, आज अस्पृश्यता अनेक रूप से बरती जाती है और अस्पृश्यता के सारे रूप अभी अलग नहीं हुए हैं, दूर नहीं हुए हैं । आप यह नहीं कह सकते कि सभी कुंएं खुल गये हैं । छोड़ दीजिये इन बातों को कि कहां पर अस्पृश्यता का निवारण हुआ है या नहीं हुआ है । आजादी के इतने दिन बाद भी नाई हजामत नहीं बनाता है, धोबी कपड़े नहीं धोता है । हरिजनों के लिये होटल, धर्मशाला और सार्वजनिक स्थान जो हैं इस प्रकार के, आज घाट आदि पूरे तरीके से नहीं खुले हैं । आज पता नहीं कितने शिवालय और मन्दिर इस प्रकार के हैं जहां वे जा नहीं सकते हैं इस देश के नगरों के अन्दर । यहां दिल्ली में लाल जैन मन्दिर मौजूद है और भी इस प्रकार के अनेकों मन्दिर हैं जहां पर हरिजन प्रवेश नहीं कर सकते हैं । मैं सदन में कह देना चाहता हूं और मैं ने पहले भी कभी कहा था, मंदिरों के दरवाजे खोल देने और देवता के दर्शन मात्र से हमारे हृदय शान्त नहीं होते हैं और अगर कहीं हमने मंदिरों को खोलने का आन्दोलन चलाया भी है तो इसलिए कि वह मुक्ति का देवता जो अस्पृश्यता के कारण बन्द है उसको आजाद कराएं । तो मंदिरों के द्वार खुलें लेकिन साथ साथ हृदय के द्वारा भी खुलने चाहिए, विचार के कपाट भी खुलने चाहिएं, सद्भावना और प्रेम के द्वार भी खुलने चाहिएं । मैं सन्त तुकाराम के शब्दों में कहना चाहता हूं :

'प्रेम नमे बोलिताम, दाविताम, संगिताम, अनुभव चिता चित्त जाणे अर्थात् प्रेम हृदय का अनुभव है, चित का अनुभव है, इसको चित जानता है । के प्रेम और सद्भावना से प्रेम और सद्भावना प्राप्त होती है । तो इस प्रकार जब हृदय के कपाट खुलें तो हमको शान्ति मिल सकती है । लेकिन मुश्किल यह है कि इस प्रकार के मानवीय विचार नहीं आते हैं और इसीलए हमारी समस्या हल नहीं होती है । मैं चाहता हूं कि जो विचार सदन के सामने प्रकट किए गए हैं माननीय सदस्यों द्वारा, उनको राज्य सरकारों तक पहूंचाया जाए। ये विचार उनके सामने जाने चाहिएं और यह बातें उनको मालूम होनी चाहिएं ।

अभी हमारे एक मित्र ने **एपार्टथीड** यानी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की निति की अस्पृश्यता से तुलना की है । मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि इस रंग भेद की नीति का अस्पृश्यता की समस्या से मिलान करना मुझे बेहतर नजर नहीं आता है । यहां हमारे देश में कुछ तो प्रयत्न इस दिशा में किये गये हैं । इस समय मुझे बापू जी याद आते हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं, उस वक्त भी जब कि उनको अफरिका में पाखाने के कुंड में डुबोया गया था उन्होने उस वेदना को रंगभेद की नीति को तोड़ने के लिए सहा और उसको तोड़ने के लिए जोर लगाया और यहां इस देश में भी बल लगाकर अस्पृश्यता को तोड़ने का प्रयत्न किया । मैं चाहता हूं कि आज भी वे विचार हमारे सामने होने चाहिए । जिस प्रकार बापू के हृदय में हमारी समस्या को देखकर सद्भावना और दर्द पैदा होता था वही आज हम चाहते हैं, लेकिन आज वे हृदय कहां हैं, अभी हृदय परिवर्तन कहां हुआ है । आज हमारे लिए कौन प्रायश्चित करता है जैसे कि बापू जी

[श्री बाल्मीकी]

करते थे । आज हमारी समस्या में राजनीति घुस कर बैठ गयी है और अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं । मैं बड़े अदब से अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह राजनीतिक पार्टियों की समस्या नहीं है । यह सारे देश की एक विकट समस्या है । मैं चाहता हूं कि जब देश के अन्दर भावात्मक एकता के प्रयत्न हो रहे हैं, राष्ट्रीय एकता के प्रयत्न हो रहे हैं, राष्ट्रीयता और एकता के प्रयत्न हो रहे हैं, उस वक्त इस प्रकार का प्रश्न भी सामने रहे, और मैं कहने के लिए तैयार हूं कि जब तक देश के अन्दर अस्पृश्यता की विकटता है, अस्पृश्यता की विभीषिका है, अस्पृश्यता की समस्या विद्यमान है, उस वक्त तक भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के सपने धूमिल से दिखायी देते हैं, उनके अन्दर कुछ नजर नहीं आता । मैं कहना चाहता हूं कि बल लगाकर इस समस्या को हल करना चाहिए और इस काम को विचार के साथ करना होगा । केवल कुछ करोड़ रुपया कुछ योजनाओं पर खर्च कर देने मात्र से या कुछ स्कूल खोल देने मात्र से या इस तरह की कुछ बातें कर देने मात्र से यह समस्या हल नहीं हो सकती । इस समस्या को विचार से, सद्भावना से और अश्रुओं से हल करना होगा और वे आंसू हृदय से आएं ।

मुझे वह समय याद आता है जब संत तुलसी साहब हाथरसी कानपुर के सरसैया घाट पर बैठे थे । उस वक्त एक ब्राह्मण गंगा नहा रहा था । एक हरिजन ने उस पानी को छू लिया और वह लहर जाकर ब्राह्मण से टकरायी । वह ब्राह्मण जो कि तागड़ी तागड़ी पानी में खड़ा होकर भजन कर रहा था और वैदिक मंत्र बोल रहा था, उसने बाहर आकर उस हरिजन को लातों से मारना शुरू कर दिया । तभी तुलसी साहब हाथरसी ने कहा कि रे ब्राह्मण तू इस हरिजन को क्यों मारता है, ब्राह्मण ने कहा कि इसने मुझे गंदा कर दिया, यह चांडाल है । तो तुलसी साहब ने कहा कि जिन विष्णु के चरणों से यह गंगा प्रवाहित हुई है उन्हीं विष्णु के चरणों से यह हरिजन निकला है । यह कह कर उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया और प्रेम के आंसू बहाने लगे । तो वह आंसू आज चाहिएं वे आंसू जो कि बापू हमारी समस्याओं को और हमारी अवस्था को देख कर बहाते थे । मैं यहां ऋग्वेद से उद्धरण देना चाहता हूं :

इमा जुषस्व नो गिर :

कोई सुने हमारी दु:ख भरी पुकार को । आज भी हमें आसमान से स्वामी दयानन्द सरस्वती और बापू जी की आवाज सुनायी देती है । व हमारी आवाज सुनने वाले हैं । मैं मानता हूं कि अनेक महा पुरुषों ने हमारी समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है और विचार भी इस पर रोता रहा है । लेकिन गैब से एक आवाज आती है और हमसे कहती है कि मैं तुम्हारे अन्दर चेतना भर दूंगी । और आज हरिजनों में चेतना है । हम समस्याओं का मुकाबला करने को तैयार हैं, हम स्वयं भी अपने को समान स्तर पर उठाने के लिए तैयार हैं, । आप हमारी सहायता कीजिए आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से । आज हम दूर से एक आवाज सुन रहे हैं जो कहती है कि मैं तुम्हारे अन्दर चेतना भर दूंगी । और वह चेतना आज हमारे अन्दर है । लेकिन हम देखते हैं कि आज भी ऐसे इन्सान हैं जिनके पत्थर के हृदय हैं, उस पत्थर क जो कि द्रवित नहीं होता । वह आवाज कहती है कि मैं उन पत्थर के शरीरों में और पत्थर के हृदयों में परिवर्तन कर दूंगी और पत्थर की जगह मांस के लोथड़े का हृदय रख दूंगी जिसमें चेतना और सद्भावना जाग्रत हो सके । आज समाज में चेतना और सद्भावना आनी चाहिए । हमें यकीन होना चाहिए कि समस्या को हल करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएग और सबसे आवश्यक बात है राज्य सरकारों को हिलाने की । उनसे पूछा जान चाहिए कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की

सिफारिशों पर और रेनुका रे कमेटी की शिफारिशों पर अमल क्यों नहीं होता है ? हमारी प्राक्कलन कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी जो विचार और सुझाव देती है उसी आधार पर राज्य सरकारों को सोचना चाहिए । उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता । उन पर अमल होना चाहिए । जो अस्पृश्यता निवारण का कानून है उस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए । केवल इसको काग्निजबिल अफेंस बनाने से काम नहीं चलेगा । उस पर पूरी तरह अमल होना चाहिए जो कि नहीं होता है ।

आप मंत्रियों के सम्मेलन इस समस्या को हल करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इससे यह समस्या हल नहीं होती । सारा मामला तो राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के हाथ में होता है । आपको केवल मुख्य मंत्रियों की कानफरेंस बुलानी चाहिए और उनको हिलाना चाहिए, मंत्री तो उनके द्वारा अपने आप हाथ में आ जाएग ।

मैं चाहता हूं कि समाज के अन्दर हमा प्रति सद्भावना पैदा हो । हमारे मार्मिक दर्द को समझा जाए ।

अन्त में मैं यजुर्वेद का मंत्र पढ़ कर अपना भाषण समाप्त करूंगा ।

रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं वाजसु नः कृधि ।

रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम् ।

हमारे राष्ट्र के ब्राह्मणों में तेज रहे हमारे क्षत्रियों में तेज रहे, हमारे वैश्यों में और शुद्रों में तेज रहे, हमारे राष्ट्र के ये सब लोग उत्तम तेजस्वी बनें, वीर्य वान बनें और इस तेज से प्रत्येक मनुष्य भी तेजस्वी बने । हमारे राष्ट्र में कोई भी निस्तेज, निर्वीर्य, निर्धन, कर्महीन दीन न हो । सब तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, मनस्वी बनें ।

सभापति महोदय हम वह तेजस्विता, वर्चस्विता, मालदारी, ऊंचापन आदि दूसरी ओर ही देखते हैं । हमार अन्दर वह वर्चस्विता, तेजस्विता और वह ओजस्विता नीचे दिखायी देती है । मैं चाहता हूं कि वह तेजस्विता, वर्चस्विता आदि का ग्लेमर जो उधर है हमारे ऊपर भी चमके । लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भारत सरकार इस राष्ट्रीय समस्या के लिए पूरा प्रोग्राम बनाकर उसको नहीं चलाती, और न उस समय तक यह समस्या हल होगी । मैं ने अपने भाव व्यक्त किए हैं और विचार के साथ किए हैं । मेरे हृदय में उद्वेग उठता है । आज माननीय सदस्यों ने जो हमारी समस्या का चित्र खींचा है वह आपके सामने आना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि आप इसको देखेंगें । मैं मानता हूं कि यह समस्या केवल कानून के बल पर हल नहीं हो सकती । मैं यह भी मानता हूं कि पार्टियों के द्वारा दोषरोपण करने से भी यह समस्या हल नहीं होगी । यह तो सारे समाज और सारी पार्टियों की समस्या है मिल जुल कर ही हल होगी ।

मै इस समस्या के हेतु इस संकल्प को सदन में वोट का विषय नहीं बनाना चाहता हूं । सभी माननीय सदस्यों ने इसको बल दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि इसको बाहर भी बल मिलेगा । हमारी केन्द्रीय सरकार भी इसको बल देगी । इस विचार से मैं इस प्रस्ताव को हृदय से वापस लेना चाहता हूं । लेकिन हमको यह यकीन होना चाहिए कि इस समस्या के प्रति जो ढील अब तक बरती गयी है वह आगे नहीं बरती जाएगी । उस ढील के फन्दे को तोड़ना भारत सरकार का और खास तौर से गृहमंत्रालय का काम है और उसको इसके लिए प्रयत्न करना होगा । यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी उप मंत्राणी जी उधर बैठी हैं । उनको देख कर मुझे प्रसन्नता होती है, अपने को देख कर सब को प्रसन्नता होती है । तो मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति

[श्री बाल्मीकी]

चाहता हूं श्रौर उप मंत्राणी जी को धन्यवाद देता हूं श्रौर श्राशा करता हूं कि मेरी बातों पर विचार किया जाएता ।

Mr. Deputy-Speaker: What about Shri Siddiah's amendment?

Shri Siddiah: I would like to withdraw it with the leave of the House.

Mr. Deputy-Speaker: Does he have the leave of the House to withdraw his amendment?

Some Hon. Members: Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: Does the hon. mover of the resolution have the leave of the House to withdraw his resolution?

Some Hon. Members: Yes.

The resolution was, by leave, withdrawn.

17·50 hrs.

RESLUTOION RE: REPRESENTATIVE CHARACTER OF TRADE UNIONS

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I beg to move:

"This House it of opinion that with a view to check the representive character of Trade Unions, rival Unions should be compelled by legislation to have their influence tested periodically by reference to a secret ballot of the workers concerned."

Sir, in moving this resolution tabled by Shri Indrajit Gupta—in his absence—I wish to start with the trade union movement before 1947. During the pre-independence days there was only one all-India organisation called the All India Trade Union Congress, and the great national leaders of this country right from the present Prime Minister, Lala Lajpat Rai and Subhash Chandra Bose and all others were either General Secretary, President or Chairman of this particular organisation. During the British regime we thought that the policy of the Britishers were to rule the country, to rule the workers by dividing them into various groups, and with the dawn of independence we thought that there will be more unification, there will be more of an upsurge of unity in this country. Those national leaders thought that every evil in the country was due to the British regime.

But what happened after 1947? Just after independence our great leader the late lamented Sardar Vallabhbhai Patel gave the idea of having a different trade union congress. He was helped by certain leaders who did not believe perhaps in trade union democracy or who wanted to have one organisation which should always toe the line of the Government. The net result was that the Indian National Trade Union Congress was born.

That was the most sad and unfortunate day in the history of trade union movement in this country. Sir, I have no bitterness against the INTUC or its leaders, but I have a feeling that unless the spirit of this resolution or the referendum or plebiscite in principle is accepted, the true representative character of the union cannot be ascertained.

After all, the functioning of the unions is the only instrument in the hands of the workers for collective bargaining. The present Labour Minister Shri Nanda has been maintaining throughout his trade union career that if strikes are to be avoided the unions should be recognised and the workers should be given their proper dignity and their proper place in society. That is the correct aproach to the problem.

But, unfortunately, what happens? In every industry, whether in textile, iron and steel or in jute, whether it is